अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-2/2017/236 ई-2/तेरह-2017-65/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 31 जनवरी,2017

विषय:-राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों पर मदिरा की बिक्री के अनुज्ञापन जारी करने पर रोक लगायेजाने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-12164-12166/2016 में दिनांक 15-12-2016 को पारित आदेशों के क्रियान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-32ई-2/तेरह-2016-65/2013, दिनांक 06 जनवरी,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-12-2016 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों पर स्थित आबकारी दुकानों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 01 अप्रैल,2017 से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों की सर्विस लेने से 500 मीटर की दूरी पर स्थानान्तरित करने हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को नोटिस निर्गत कर परिवर्तित स्थान पर दुकानों के व्यवस्थापन की नियमानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से समयान्तर्गत आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शासन को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश में की गई अपेक्षानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-12-2016 के अनुपालन में प्रभावी एवं समयबद्ध ढंग से कार्यवाही पूर्ण करते हुये कृत कार्यवाही एवं प्रगति आख्या से आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(किशन सिंह अटोरिया)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2017/236(1)ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासन के पत्र संख्या-33 ई-2/तेरह-2017-65/2013, दि0 06 जनवरी,2017, संख्या-75ई-2/तेरह-2017-65/2013, दिनांक 12 जनवरी,2017 तथा संख्या-77ई-2/तेरह-2017-65/2013, दिनांक 12 जनवरी,2017 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित करते हुये मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराते हुये अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।